

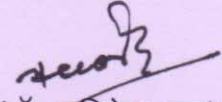


टी बोर्ड
14, बिप्लवी त्रैलोक्य सरणी
कोलकाता-700001

दिनांक: **24.06.2022**

कार्यालय ज्ञापन सं 64/2022

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में कार्यरत रबर बोर्ड के संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ उनके वैध आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा उपचार करने के लिए 300/- रुपये प्रति दिन/प्रति कमरा (डबल बेड वाले कमरे के लिए) के भुगतान पर कोलकाता में टी बोर्ड के गेस्ट हाउस, कोलकाता में कमरों की उपलब्धता के आधार पर आवंटन की अनुमति तत्काल प्रभाव से देने की कृपा की है। इस प्रयोजन के लिए आवेदन जमा करते समय, रबर बोर्ड के संबंधित अधिकारियों को अपने कार्यालय पहचान पत्र सहित कोलकाता में उक्त चिकित्सा उपचार के संबंध में और आश्रित परिवार के सदस्यों के पक्ष में आवंटन के अनुरोध के मामले में सहायक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। उन्हें अपनी वैध निर्भरता के संबंध में सहायक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।


 (डॉ. ऋषिकेश राय)
 सचिव (प्र)

वितरण :-

1.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष व सचिव को छोड़कर)	
2.	कार्यपालक निदेशक, कून्नूर व गुवाहाटी	
3.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम, केरल	
4.	उत्तर पूर्वी रबड़ बोर्ड कर्मचारी संघ, रबड़ बोर्ड, चांदमारी, पोस्ट : कुंजबन, अगरतला, त्रिपूरा-799 006.	
5.	उपाध्यक्ष के नि.सह, टी बोर्ड	
6.	सचिव के नि.सह व वि.स व मु.ले.अ.	
7.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
8.	टीबीईए	
9.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित

संदर्भ. मिसिल सं. 28(2)/स्था/97